संख्या–ई–8– 304 / दस–06–89 / 2004

प्रेषक,

आर0 रमणी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊः दिनांकः 02 मार्च, 2006

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8

विषयः शासकीय निर्माण कार्यों का सम्पादन।

महोदय

शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–ई–8– 303 / दस–06–89 / 2004 दिनांक 02 मार्च, 2006 को जारी किया गया है जिसमें निर्माण एजेन्सी के चयन हेतु विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में शासकीय निर्माण कार्यों हेतु यह व्यवस्था की गयी है कि रू0 2.50 करोड़ से अधिक की लागत के गैर मानकीकृत तथा रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत के मानकीकृत भवनों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (जल निगम) तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा ही किया जायेगा।

3– रू0 2.50 करोड़ से अधिक की लागत के गैर मानकीकृत तथा रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत के मानकीकृत भवनों का निर्माण कार्य करने हेतु यदि कोई अन्य राजकीय निर्माण एजेन्सी उपरोक्त प्रस्तर–2 में वर्णित निर्माण एजेन्सियों की श्रेणी में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त करती है तो संबन्धित निर्माण एजेन्सी के प्रशासनिक विभाग द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का सुसंगत मानकों के संदर्भ में परीक्षण करते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग का क्लीयरेन्स प्राप्त करने के बाद उसे व्यय वित्त समिति के विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यय वित्त समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रस्ताव पर मा0 विभागीय मंत्री जी तथा मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके वित्त विभाग की सहमति से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

4– उपरोक्त प्रस्तर–3 में शासकीय निर्माण एजेन्सी के चयन हेतु मानकों के निर्धारण हेतु निम्नवत् एक तकनीकी समिति का गठन किया जाता है:–

(1) प्रमुख सचिव वित्त अथवा उनके द्वारा नामित सचिव स्तर के अधिकारी	अध्यक्ष
(2) महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	सदस्य
(3) मुख्य अभियन्ता भवन लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(4) चीफ आर्किटेक्ट, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(5) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई	सदस्य

उपरोक्त समिति चयनित की जाने वाली एजेन्सी की जनशक्ति (स्टाफ), तकनीकी क्षमता (टेक्नीकल स्किल), हर्ड ओवर, मशीने तथा उपकरण, कार्य करने का अनुभव आदि

.....2

के सम्बन्ध में मानक निर्धारित करेगी। समिति द्वारा निर्धारित मानक के प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5- उपरोक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार के अभिकरण विभागों के अधिकारियों के अलावा उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0 प्र0 समाज कल्याण निगम, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (जल निगम) तथा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद को ही प्राप्त है। इनके अतिरिक्त जिन निर्माण एजेन्सियों को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति लोक निर्माण विभाग द्वारा किस स्तर पर दी जायेगी तथा इस हेतु क्या मापदण्ड अपनाये जायेंगे, इसका निर्धारण भी उपरोक्त प्रस्तर-4 में उल्लिखित तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि मानकीकरण लोक निर्माण विभाग की सहमति से हुआ है तो मानकीकृत कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

आर0 रमणी
मुख्य सचिव।

संख्या: ई-8- 304(1)/दस-2006-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2-मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
3-प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उत्तर प्रदेश।
4-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0।
5-आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
6-प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लि0।
7-निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एवं डिजायन सर्विसेज, जल निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,

(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव।

{ Sri Kailash Nath Mishra
2712443